[16/3/2022]

परिशिष्ट 62

प्रश्न सं. [क. 1421]

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-1421
माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल

कार्यालय भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना कुक्षी जिला धार

क्रमांक /1578 /पुनर्वास/2021 कुक्षी दिनांक 8.7.2021

प्रति

आयुक्त महोदय (पुनर्वास/फील्ड)
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
बी.जी. 74 सी. नर्मदा भवन विजयनगर इन्दौर

विषय :- सरदार सरोवर परियोजना की डूब से प्रभावितो को आवंटित आवासीय भू-खण्डो को परिवर्तित कर नवीन भू-खण्ड आवंटित करने बाबद।

संदर्भ :- श्रीमान का पत्र कमांक 2045/कार्य/नग्रानि/न.घा.वि.प्रा. इन्दौर दिनांक 09-04-2021 एव पत्र कमांक 556/पुनर्वास/2021 इन्दौर दिनांक 27-01-2021।

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत निवेदन है कि आवेदक राधेश्याम पिता बुदा व अन्य 4 निवासी ग्राम निसरपुर तह. कुक्षी द्वारा माननीय नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण इन्दौर की ओर प्रेषित आवेदन पत्र में जो भू-खण्ड आवंटित किये गये उनके बदले में शिकायत निवारण प्राधिकरण के प्रकरण कमांक 651/2019 के आदेश को ध्यान में रखते हुए सामाजिक ईकाई के बीच भू-खण्ड खाली होने की स्थिति में आवंटित किये जावे, का बिन्दुवार प्रतिवेदन निम्नानुसार सादर प्रेषित है :-

1. प्रकरण में आवेदक राधेश्याम पिता बुदा के पिता बुदा पिता भगवान के नाम से ग्राम निसरपुर अन्तर्गत एक मकान डूब प्रभावित हुआ है जिसकी मुआवजा राशि 22858 रू. निर्धारित होकर अवार्डधारी को भुगतान की गई है तथा आवेदक को राधेश्याम पिता बुदा को वयस्क पुत्र के रूप में निसरपुर पुनर्वास स्थल पर भू-खण्ड कमांक 1936 आवंटित किया गया है। इसी प्रकार जगदीश पिता बुदा एवं गोविन्द पिता बुदा के संयुक्त नाम से ग्राम कटनेरा अन्तर्गत मकान डूब प्रभावित होने से इन्हे निसरपुर पुनर्वास स्थल पर भू-खण्ड कमांक 1671 आवंटित किया गया है।

2. प्रकरण में अन्य 3 आवेदक राकेश पिता गोविन्द, सुनील पिता गोविन्द व अनिल पिता गोविन्द मृतक वारिस लक्ष्मीबाई बेवा अनील को उनके पिता गोविन्द पिता बुदा व जगदीश पिता बुदा के संयुक्त नाम से ग्राम कटनेरा अन्तर्गत एक मकान डूब प्रभावित हुआ है जिसकी मुआवजा राशि 234925 रू. निर्धारित होकर भुगतान की गई है आवेदको के पिता का उक्त मकान नवीन बेक वाटर लेवल अन्तर्गत अप्रभावित है। आवेदको को उनके पिता का मकान प्रभावित होने से उन्हे वयस्क पुत्र के रूप में पृथक पृथक एक-एक आवासीय भू-खण्ड कमांक कमशः 1930, 1932 एवं 1931 आवंटित किये गये है।

आवेदको के पिता एवं दादा बुदा पिता भगवान के नाम से कुल धारित भूमि 4.258 हेक्टर में से 4.096 हेक्टर भूमि निसरपुर पुनर्वास स्थल हेतु अधिग्रहित की गई है तथा 0.162 हेक्टर भूमि परियोजना अन्तर्गत डूब प्रभावित हुई है। जिसकी मुआवजा राशि कमशः 1414659 एवं 19194 रू. निर्धारित होकर नियमानुसार भुगतान की गई है।

प्रकरण में आवेदकगणो द्वारा उन्हे आवंटित भू-खण्ड का परिवर्तन उनकी मालकी हक की निसरपुर पुनर्वास स्थल हेतु अधिगृहित भूमि में सामाजिक ईकाई के अनुसार भू-खण्ड परिवर्तन की मांग कर रहे है। जबकि उनके पिता की उक्त अधिग्रहित भूमि पर वर्तमान में व्यवसायीक सकूल का निर्माण कर दुकान हेतु भू-खण्ड आवंटित किये गये है तथा बस स्टेण्ड व हाट बाजार का निर्माण किया गया है जिससे वर्तमान में उक्त स्थान पर कोई भूमि रिक्त नही है तथा ना ही उक्त भूमि पर कोई आवासीय भू-खण्ड विकसीत नही किये गये है।

निरंतर 2 पर ....

baghel sir GRA

उक्त भूमि पर बैंक ऑफ इंडिया का भवन स्थित है तथा बावडी के पास स्थित भू–खण्ड की ग्राम पंचायत निसरपुर द्वारा टेंकर तथा भविष्य में फायर फाईटर खडा करने तथा पार्किंग हेतु मांग की गई है जिसका प्रस्ताव आयुक्त महो. इन्दौर को प्रस्ताव भेजा गया है।

इस प्रकार आवेदको को उनकी मांग अनुसार मालकी भूमि पर भू–खण्ड परिर्वतन हेतु भूमि रिक्त नही होने तथा आवसीय भू–खण्ड विकसीत नही होने के कारण इन्है भू–खण्ड परिर्वतन किया जाना संभव नही है।

अतएव प्रतिवेदन उक्तानुसार सादर प्रस्तुत।

भू–अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी
सरदार सरोवर परियोजना कुक्षी

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय,भोपाल